निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 79/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सीताराम खण्डेलवाल पुत्र भीखाराम खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 344, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. अरविन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश नारायण जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1/1330 मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्म सिंह पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी ग्राम गदरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ ।
2. भैरू राम पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 7, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर ।
3. श्री शिवचरण शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2022 ब उनवानी सीताराम बनाम धर्मसिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

कलक्टर जिला, जयपुर

उपस्थित –

1. श्री प्रकाश राडौड अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16.06.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2022 ब उनवानी सीताराम बनाम धर्मसिंह व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. बहस एक पक्षीय प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को लगातार धमकियां दी जा रही है कि उक्त प्रकरण का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने हक में करवायेंगे तथा आगामी तारीख पेशी पर ही प्रकरण का निर्णय हमारे हक में हो जायेगा और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि उक्त जमीन का समझोता कर लो, नहीं तो उक्त मुकदमें का फैसला हमारे हक में करवायेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 2 जो कि स्थानीय है तथा वर्तमान में पार्षद है, ने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 पर निरन्तर राजनैतिक दबाव बना

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

कर उक्त प्रकरण का फैसला अपने हक में करवाने पर उतारू है। कई बार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय परिसर में प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह पार्षद है और उसका ऊपर तक राजनैतिक प्रभाव है, जिस कारण उक्त मुकदमें में फैसला मेरे हक में करवाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पश्चातवर्ती केता है। प्रार्थी के हक में वादग्रस्त भूमि का प्रथम विकय पत्र निष्पादित हो रखा है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाजायज रूप से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त मुकदमें को अपने हक में फैसला करवाने की धमकी देते है तथा कई बार प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 3 के चैम्बर में भी बातचीत करते हुए देखा है जिस कारण प्रार्थी को अब उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **16.06.2025** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner